- (c) whether any records are kept of the censored portions of programmes, if not, the reasons therefor if so, is there any system of review to determine whether these decisions were justified or arbitrary;
- (d) whether any written reasons are given to private producers for the changes/cuts demanded in current affairs programmes produced by them; if not, the reasons therefor;
- (e) whether there is any prescribed procedure for review of the cuts/changes that are made in programmes; if not, how are officials rendered accountable for their decisions; if so, what are the these procedures; and
- (f) whether there is any procedore for appeal against the arbitrary decisions of the officials on alterations and cuts to current affairs programmes by private producers; if so, the details thereof, if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIA-MENTARY AFFAIRS (SHRI P. UP-ENDRA): (a) to (f) There is no censorship of Current Affairs Programmes produced by outside producers for Doordarshan. If the programme, however, demands some modifications to ensure that its basic objectives is met with necessary changes are suggested to the producer orally and sometime in writing and these are carried out by mutual consultations. The producer is, however, free to present his point of view with regard to suggestions made and the same are considered. on merit

## कश्मीर श्रातंकवादियों के साथ ईरान के संबंधों पर सी ग्राई ए की रिपोर्ट

3269. कुमारी सरोज खापर्डे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 ग्रगस्त, 1990 के नागप्र से प्रकाशित होने बाले दैनिक "लोकमत" में प्रकाशित इस ग्राशय के समाचार की ग्रोर ग्राकृष्ट कराया गया है जिसमें भ्रमरीकी सीनेटर मि॰ ग्रलान कास्टन को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि पाकिस्तान में कार्यरत सी॰भ्राई॰ए॰ सूत्रों के भ्रनुसार कम्मीरी भ्रातंकवादियों के ईरान के साथ संबंध हैं;

- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; ग्रौर
- (ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री हिरि किशोर सिंह): (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। विधापि, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि सीनेटर ने यह वक्तव्य किस आधार पर दिया है?

## मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति

3270. श्री ग्रजीत जीगी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विलास पुर जिले की तीन मड़कों (लम्बाई 250 कि॰ मी॰, 15.00 करोड़ रुपए, तथा शह डोल जिले में एक दूसरी सड़क (लम्बाई 5 1.0 कि॰मी॰ लागत 1.30 करोड़ रुपए) का निर्माण करने की वित्तीय अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) क्या इन सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई थी; भ्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो ग्रपेक्षित स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

जल-भूल परिवहन मंत्री (श्रो के पी० उन्नीकृष्णन): (क) से (ग) सूचदा